न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिक़ारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 46 / 24 दायर दिनांकः 17.05.2024
जीसीएमएस नं. 2024 / 101

उनवान

1 शिवचरन पुत्र सरमन जाति जाटव नि. महमदपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 पाँची पत्नि सरमन 2 कलुआ 3 पूरन पुत्रान मवासी 4 रामस्वरूप पुत्र सरमन जातियान जाटव नि. महमदपुर तह. भुसावर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री प्रकाश चन्द ——वादी
2. श्री राजेन्द्र सैनी ——प्रति.सं. 1 लगा. 4

निर्णय दिनांक 19.01.2026

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 338 रकबा 0.75 हैक्टे. में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 वाहिस्सा बराबर के तथा आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 0.16 हैक्टे. में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाहिरसा बराबर 1/2 हिस्सा के वाके ग्राम महमदपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर के काबिज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–2 हिस्से की आराजी को मनवट के आधार पर काबिज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादी को उसके निहित हिस्से की आराजी का पूरा–2 लाभ प्राप्त नहीं होने देते है और अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर बिना विभाजन के ही दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये आराजी को किसी तरह से खुर्द बुर्द करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

दिनांक 13.05.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से साफ मना करते हुए धमकी दी कि हम तो हमारे लट्ठ व ताकत के बल पर आराजी में से अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करके रहेंगें और तुझे तेरे हिस्से की आराजी से बेदखल कर महरूम कर देंगे। अतः वादी वादग्रस्त आराजी का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया है कि उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकालतनामा श्री राजेन्द्र सैनी एड. द्वारा प्रस्तुत किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत सहमति दी गई।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/6638 दिनांक 30.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2025/6638 दिनांक 30.10.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०